संख्या-276/2018/2912/22-2-2017-17(783)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरंजन सिंह पुत्र श्री हृदेश सिंह, निवासी जनपद-एटा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-39845/प्रोबे0-5-दयायाचिका/714 दिनांक 06-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सुरंजन सिंह पुत्र श्री हृदेश सिंह, निवासी ग्राम-पिलखतरा, थाना-जलेसर, जनपद-एटा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा प्रेम प्रसंग की रंजिश को लेकर दिनांक 13.11.2008 को 11 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेंसी बंदूक से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-23/2010 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र /विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, एटा के आदेश दिनांक 08.06.2011 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-3801/2011 योजित की गयी। उक्त अपील में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 09 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.05.2016 तक 06 वर्ष 00 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 08 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, बन्दी की काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी सुरंजन सिंह (बन्दी संख्या-15770) पुत्र श्री हृदेश सिंह, निवासी जनपद-एटा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-276/2018/2912(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- निजी सचिव मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in